

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद./57526/मा.द./2015

जयपुर, दिनांक :

9 MAY 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक;
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषय:- "न्याय आपके द्वार" कैम्प में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार की मांग दर्ज किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आज दिनांक 09.05.2016 से "न्याय आपके द्वार" कैम्प का आयोजन "अटल सेवा केन्द्र" पर किया जा रहा है। इस संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि आयोजित किये जा रहे इन कैम्प में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत रोजगार की मांग दर्ज किये जाने तथा प्राप्ति रसीद जारी किये जाने की समुचित व्यवस्था की जावे। इस हेतु पर्याप्त मात्रा में फार्म न. 6 की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे, इस बाबत प्रचार-प्रसार किया जावे तथा संबंधित कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम सचिव, ग्राम रोजगार सहायक तथा अन्य संबंधित कार्मिक को पाबन्द किया जावे।

भवदीय


(त्रिभुवनपति)

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
6. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।


अधिशोषी अभियन्ता, ईजीएस